राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

फोन : 0141–2711237, 2700540 ईमेल– rstbsecy22@gmail.com ,
website http://www.rstbraj.in

सूचना

सभी पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं जिन्होने मंडल में पुस्तकों की मांग एवं अमानत राशि जमा कराई है, को सूचित किया जाता है कि–

1. कक्षा 1 से 9 तक की पाठ्यपुस्तकों का विक्रय निरन्तर चालू है। शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु कक्षा 10 से 12 में नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसका विक्रय सभी जिला वितरण केन्द्रों पर 7, जून 2017 से प्रारंभ किया जा रहा है।
2. कक्षा 10 से 12 के नवीन पाठ्यक्रम के विक्रय का कार्यक्रम क्षेत्रवार निधारण करने हेतु दिनांक 05.06.2017 को दोपहर 2.00 बजे प्रत्येक जिले में प्रबंधक वितरण केन्द्र द्वारा लाटरी निकाली जाएगी। जिसमें सभी इच्छुक पंजीकृत पुस्तक विक्रेता उपस्थित हो सकते है।

पुस्तकों का विक्रय एवं राशि जमा कराने हेतु विस्तृत सूचना मण्डल की वैबसाइट http://www.rstbraj.in एव जिले में स्थित स्थानीय वितरण केन्द्र पर देखी जा सकती है।

सचिव

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
2–2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन : 0141–2711237, 2700540 ईमेल : rstbsecy22@gmail.com, website http://www.rstbraj.in

सूचना

सभी पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं जिन्होने मंडल में पुस्तकों की मांग एवं अमानत राशि जमा कराई है, को सूचित किया जाता है कि–

1. कक्षा 1 से 9 तक की पाठ्यपुस्तकों का विक्रय निरन्तर चालू है। शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु कक्षा 10 से 12 में नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है जिसका विक्रय सभी जिला वितरण केन्द्रों पर 07.06.2017 से प्रारंभ किया जा रहा है।
2. कक्षा 10 से 12 के नवीन पाठ्यक्रम के विक्रय का कार्यक्रम क्षेत्रवार निर्धारण हेतु दिनांक 05.06.2017 को दोपहर 2:00 बजे प्रत्येक जिले में प्रबन्धक वितरण केन्द्र द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी जिसमें सभी इच्छुक पंजीकृत पुस्तक विक्रेता उपस्थित हो सकते हैं। लाटरी द्वारा निर्धारित पुस्तक प्राप्ति का कार्यक्रम वितरण केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाएगा तथा मंडल की वेबसाईट http://www.rstbraj.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य सूचनाओं के लिए भी इस वेबसाईट को नियमित देखते रहें। पुस्तकवाईज मूल्यसूची तथा कमीशन की दरें वेबसाईट पर उपलब्ध है।
3. कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तकें सप्ताह में 6 दिवस (सोमवार से शनिवार) उपलब्ध कराई जायेंगी तथा रविवार को प्रबंधक साप्ताहिक बिकी का रिकार्ड पूर्ण करेंगे। CHEQUE/RTGS/NEFT/D.D. से जमा कराई गई राशि की पुस्तकें वितरण केन्द्र से 48 घण्टे के भीतर उठानी होगी अन्यथा पुस्तकें देना संभव नहीं होगा।
4. मंडल डिपो पर अधिकांश पुस्तके पूरी संख्या मे उपलब्ध हैं। प्रत्येक पुस्तक विकेता को एक ही बार मे पुस्तकों का विकय करने की व्यवस्था की जावे। अतः पुस्तक विकेता अपनी मांग की अधिक से अधिक पुस्तकें एक ही बार में प्राप्त करलें। अपवाद स्वरूप यदि कोई पुस्तक किसी समय उपलब्ध नही कराई जाती है तो उसको विक्रय–चक्र के दुबारा प्रारंभ होने पर लाटरी के अनुसार जारी किया जाएगा।
5. जिन पुस्तक व्यवसायियों ने अपनी मांग अथवा अमानत राशि मंडल को निर्धारित समय पर जमा नही कराई है, उन्हे पुस्तकों का विक्रय स्टॉक उपलब्ध होने की दशा मे द्वितीय चक्र में उपलब्ध करा दी जावेगी।
6. पुस्तकों की बिकी केवल पैकिट्स की संख्या में ही की जाएगी। बंडल खोलकर पुस्तकों की बिक्री नही की जाएगी।

भुगतान व्यवस्था

पुस्तक विक्रेताओं को बैंकों पर निर्भरता तथा बैंकों के सीमित समय की परेशानी को ध्यान मे रखते हुए पुस्तक विक्रेताओं की सलाह पर पुस्तकों की राशि जमा कराने की व्यवस्था मे निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं–

7. पुस्तकों की राशि पुस्तकें उठाने के दिन से पहले के दिनों मे ही जमा कराने का प्रावधान किया गया है ताकि पुस्तकें उठाव के दिन विक्रेताओं को सुविधाजनक रूप से तथा शीघ्रता से पुस्तकें प्राप्त हो सकें। इसके लिए पुस्तक विक्रेताओं को वास्तविक उठाव के दिन से पहले ही अपना मांगपत्र लेकर उसकी राशि की गणना कर CHEQUE/RTGS/NEFT/D.D. के रूप में अग्रिम संबंधित जिले के वितरण केन्द्र के बैंक खाते मे जमा कराएं तथा राशि जमा कराने के प्रमाण के साथ निर्धारित दिवस को पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आएं। वितरण केन्द्रों के बैंक खातों का विवरण मंडल की वेबसाईट पर देखा जा सकता है। CHEQUE/RTGS/NEFT/D.D. द्वारा भुगतान पुस्तक उठाव के दो दिन पूर्व अवश्य करदें ताकि एक दिन पूर्व उसकी पुष्टि की जा सके तथा पुस्तक उठाव के दिन कोई असुविधा नही हो।
8. जो पुस्तक विक्रेता चैक से राशि जमा कराना चाहते है वे वितरण केन्द्र का खाता जिस बैंक मे है उस बैंक का चैक प्रस्तुत करके राशि जमा करा सकते हैं। लेकिन पुस्तकें चैक की राशि मण्डल खाते में स्थानान्तरण होने अथवा चैक समाशोधन पश्चात् राशि जमा का प्रमाण प्रस्तुत करने पर 48 घण्टे में पुस्तकें उठानी होगी। मंडल का खाता किस जिले मे कौनसे बैंक मे है, इसका विवरण मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
9. मांगपत्र अग्रिम ईमेल से भेजने की व्यवस्था भी मंडल द्वारा की जा रही है। कृपया सभी पुस्तकविक्रेता अपनी ईमेल आई.डी. जिला स्थित वितरण केन्द्र को व्यक्तिशः अथवा ईमेल से 31–5–2017 तक भेजने की व्यवस्था करें। राशि का मांगपत्र पुस्तकविक्रेता द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल आई.डी. पर पहले ही भेज दिया जाएगा, जिसके अनुसार पुस्तकविक्रेता द्वारा राशि जमा कराई जा सकती है। मांगपत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर भी अग्रिम रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
10. पुस्तक विक्रेता द्वारा अग्रिम जमा कराई गई राशि एवं वास्तव मे जारी की गई पुस्तकों की राशि मे यदि कोई अन्तर रहता है तो उस राशि का समायोजन आगामी लेनदेन मे कर दिया जाएगा।

सचिव